भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

152

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

निगरानी-6368/2018/भोपाल/भू.रा.

987

निगरानी प्रकरण कं................

कमल सिंह आ0 स्व0 श्री बाबूलाल
आयु वयस्क निवासी-ग्राम नयापुरा
नई जेल नेवरी, तहसील हुजूर
जिला भोपाल ------- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. बृंदावन जौहर आ0 श्री आशाराम जौहर
2. दयाराम जौहर आ0 श्री आशाराम जौहर

दोनों वयस्क दोनों निवासीगण-917, बाजपेयी नगर, टीवी अस्पताल के पास, ईदगाह हिल्स भोपाल ------- उत्तरदातागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

माननीय महोदय,

सेवा में, यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के अपील प्रकरण कं 497/अपील/ 11-12 में पारित आदेश दिनांक 17.09.18 से परिवेदित एंव दुखित होकर न्यायदान हेतु यह निगरानी श्रीमान के समक्ष निम्न तथ्यों पर प्रस्तुत है:-

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि उत्तरदातागणों ने निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि सर्वे नंबर 2/1, 133/3, 144/2/2/4 रकवा 2.37 एकड में से रकवा 900 वर्गफिट भूमि अपने तथाकथित मुख्तारेआम ओमप्रकाश सैनी आ0 गंगाराम सैनी निवासी-महामाई का बाग शहर भोपाल से कूटरचित मुख्तारनामाआम के आधार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6368/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-4-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हो । आवेदक सूचित हो । अध्यक्ष	